पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 328 / 2024

बनाम : —

1 बृजलाल 2 धर्मपाल 3 लालचन्द	पि0दुलीचन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धोलपालिया तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।

वादीगण

बनाम्

1. दुलीचन्द पुत्र मोटाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धोलपालिया तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।
2. सैनावती पुत्री दुलीचन्द पत्नी रणजीत जाति कुम्हार (प्रजापति) निवा सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एंव खाता विभाजन
अन्तर्गत धारा
88 , राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

डिक्री दिनांक 16/12/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री संजय शर्मा व वकील प्रतिवादी श्री जयनारायण शर्मा अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक न० 2 आर. डबल्यू. बी जमाबंदी सम्वत 2075 से 78 खता स0 40/36 में 0.8210 हे. आराजी में वादी स. 1 बृजलाल 0.3870., वादी स. 2 धर्मपाल 0.3870 हे. व वादी स. 3 लालचन्द 0.0470 हे. आराजी के खातेदार काश्तकार है । उक्त खाता से प्रतिवादी स. 1 दूलीचन्द का नाम कलमजन किया जावे । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner